न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 212/2020 जिला टोंक

1. रामगोपाल पुत्र जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2. रूपा पुत्री जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3. मधु पुत्री जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
4. मोटा पुत्री जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
5. रतन पुत्र जगदीश आयु 15 सालाना नाबालिगान जरिये माता
6. रतनी पुत्री जगदीश आयु 11 साल संरक्षका माना पत्नि जगदीश
7. रामकिशन पुत्र जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलू निवाई जिला टोंक।
8. श्रीमती माना पत्नि जगदीश जाट निवासी कल्याणपुरा।
9. हजारी पुत्र रामचन्द्रा जाट निवासी कल्याणपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक राज0

–अपीलांटस

बनाम्

1. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी पीपलू।
2. मनभर पुत्री रामदयाल जाट पत्नि रामेश्वर जाट निवासी भवानीपुरा हाल निवासीकल्याणपुरा

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 10.01.2006

उपस्थित अभिभाषकः–श्री पी0के0जैन(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः–अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः–20.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.06.2002 को मनभर पुत्री रामदयाल जाट पत्नि रामेश्वर जाट निवासी भवानीपुरा हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील पीपलूं जिला टोंक को ग्राम कल्याणपुरा के खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा चाही प्रथम का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर जगदीश एवं हजारी पुत्र रामचन्द्रा जाट निवासी कल्याणपुरा द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय टोंक में अपील दर्ज करवायी गई। जिसे 44/2002 नम्बर पर दर्ज किया गया तथा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 10.06.2006 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपील को खारिज करते हुए आवंटन को यथावत रखा गया। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय से व्यथित होकर पुनः जगदीश एवं उसके वारिसान एवं हजारी पुत्र रामचन्द्रा जाट द्वारा आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत की गई। आरएए न्यायालय टोंक में दिनांक 04.03.2015 को अदम पैरवी–अदम हाजरी में तत्समय अपील को खारिज कर दिया गया था। जिस पर दिनांक 27.01.2016 को बाद दायरी के प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया। न्यायालय आरएए टोंक से पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को रेवन्यु ग्रुप–6 के अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में सुनवाई हेतु पत्रावली न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांटगण प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि बताया तथा यह कहा है कि उक्त भूमि सैटलमेंट विभाग की भूमि से सिवायचक दर्ज कर दी गई है। विपक्षी आवंटी उक्त आवंटन की आड़ में अपीलांटगण प्रार्थी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः आवंटन आदेश की क्रियान्विति को अपील निर्णय तक स्थगित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति होगी। राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है–

1. विवादित भूमि छोटी पट्टी के रूप में अपीलांटगण के खेतो से घिरी हुई होने के कारण तथा 25 वर्ष से भी ज्यादा समय से इस भूमि पर अपीलांटस का कब्जा होने के कारण स्मॉल स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की परिभाषा में आती है। ऐसी भूमि की निलामी होनी चाहिए थी। जैसा कि संशोधित नियम दिनांक 26.04.1990 में बताया गया।

2. आवंटन से पूर्व कोई विधिवत घोषणा जारी नहीं की गई है।

3. विवादित भूमि खसरा नम्बर 213 का अपीलांट रिकोर्डेड खातेदार था मगर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। अपील स्वीकार की जायें और आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जायें और अपीलाधीन निर्णय को भी निरस्त किया जायें।

बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि हम शिकायतकर्ता है तथा आवंटन के खिलाफ आये है। आवंटित भूमि 1 बीघा थी। जो छोटी पट्टी मानी जायें। समीपस्थ काश्तकार को सुनना चाहिए था। उन्हें आवंटन होता। आवंटी का कब्जा नहीं है। निलामी होनी चाहिए थी। हमारी बात जिला कलक्टर ने नहीं मानी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई।

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आवंटन नियम 70 के नियम 19 में छोटी पट्टी भूमि के समीपस्थ काश्तकारों को आवंटन किये बारे में बताया गया। जिसके अनुसार किसी काश्तकार के खेत के नजदीक यदि कोई भूमि छोटी पट्टी के रूप में है और उस भूमि के काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो सलाहकार समिति से सलाह लेकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकारी पर उसे भूमि दी जायेगी। उक्त छोटी पट्टी भूमि आवंटन का आदेश प्रारूप 5ए में दिया जायेगा। जब उसके द्वारा 5 रूपये की फीस जमा करा दी जायें। उक्त नियम में 4 उपनियम या शर्तें दी गई है–

1. उक्त छोटी पट्टी भूमि से जुड़ा हुआ चरागाह भूमि, शमसान भूमि, खेल मैदान या सार्वजनिक महत्व की भूमि नहीं होनी चाहिए।

2. जब ऐसी भूमि दो खातेदारों की भूमियों से जुड़ी हुई है और उनमें से एक आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र देता है तो निलामी की प्रक्रिया से भूमि को निस्तारण किया जायेगा। उक्त निलामी में भी दो बातों का ध्यान रखा जाना है। उस व्यक्ति को दी जा सकती है। जिस व्यक्ति का खेत छोटी पट्टी भूमि मिलने से अधिक कॉम्पेक्ट [illegible] आकार में अच्छा हो जायें तथा उच्च बोलीदाता को दिया जायें।

अपीलांटगण द्वारा अपनी अपील में मुख्य [illegible] बातों का उल्लेख किया है–

1. विवादित भूमि छोटी पट्टी के रूप में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

2. विवादित भूमि पर उनका कब्जा है।
3. पूर्व में भूमि उनकी खातेदारी थी। जो राजकीय कर्मचारियों की गलती से सिवायचक दर्ज कर दी गई।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.01.2006 का है और अपीलांट द्वारा दिनांक 06.02.2006 को आरएए न्यायालय टोंक में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि मनभर को आवंटित भूमि है। अपीलांट द्वारा अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी सबूत यथा धारा 91 के नोटिस आदि बाद आवंटन के प्रस्तुत नहीं किये है। आवंटी को कब्जा दो गवाहों की उपस्थिति में सौंपा गया था। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण आवंटीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 के तहत उक्त आवंटन किया गया था तथा मनभर द्वारा मनभर पुत्री रामदयाल निवासी कल्याणपुरा के रूप में उक्त आवेदन पत्र भरा गया था। मनभर द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु नम्बर 5 में अपनी अंगूठा निशानी लगाई गई है तथा अंत में यह कहा है कि आवेदन पत्र के क्रम संख्या 1 से 5 में जो जानकारी दी गई है वह सही है। साक्ष्य के रूप में सत्यनारायण पुत्र भूरा जाट अंकित है। पटवारी रिपोर्ट में भूमि को सड़क व आबादी से दूर बताया है तथा तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन की सिफारिस की गई है। आवंटन कमिटी की सिफारिस में विकास अधिकारी, तहसीलदार, सरपंच एवं राज्य सरकार के मनोनित सदस्य के हस्ताक्षर है तथा अंत में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अभिशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन को स्वीकार किया गया है। आवंटी मनभर द्वारा परिवचन शपथ पत्र दिया गया है। आवंटन खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित होकर पत्रावली पर उपलब्ध है। दिनांक 26.06.2002 को सुपुर्दगीनामा आवंटन भूमि सिवायचक रकबा मनभर को दिया गया है। जगदीश और किशन साक्षी के रूप में अंकित है तथा पटवारी के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 26.06.2002 अंकित है। प्रारूप 5 में नियम 15(2) के आवंटन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। सुपुदर्गीनामा आवंटन भूमि से स्पष्ट है कि दिनांक 26.06.2002 को आवंटन भूमि मनभर को संभला दी गई। उक्त तथ्य के विपरीत पत्रावली पर कोई अपीलांट द्वारा ऐसा दस्तावेज नही प्रस्तुत किया गया है जिससे उसका कब्जा सिद्ध होता हो।

आवंटन दिनांक को भूमि सिवायचक दर्ज थी तथा नियमों के अनुरूप भूमि का आवंटन पाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रारूप 5 में भूमि आवंटन का आदेश जारी किया है ना कि 5ए में। प्रारूप 5 में अनाधिवासीत राजकीय भूमि के आवंटन का आदेश दिया जाता है। जबकि 5ए में यह आदेश छोटी पट्टी के रूप में उपलब्ध भूमि के संदर्भ में दिया जाता है। जिसके लिए नियम 19 बना हुआ है। अपीलांटगण का यह कहना है कि पूर्व में विवादित खसरा नम्बर उनकी खातेदारी का था। ऐसी कोई जमाबंदी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। पूर्व में यदि उनका कब्जा मान भी लिया जाये तो यह कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत के रूप में ही माना जायेगा। आवंटन के बाद मनभर को कब्जा सोंपा जाने के बाद मनभर का ही कब्जा माना जायेगा। भूमि आवंटन के एक सप्ताह पूर्व ग्राम पंचायत को सूचित किया जाना आवश्यक है तथा अनाधिवासीत भूमियों की सूची भी प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। यह नियम 13(4) में बताया गया है। मगर व्यक्तिगत सूचना दिया जाने का कोई नियम नहीं है। नियम 11(2) के अनुसार अगर किसी खसरा नम्बर के लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर उस व्यक्ति के पक्ष में आवंटन किया जायेगा। पत्रावली के अवलोकन से यह पता नहीं लगता है कि क्या अपीलांटगण द्वारा किसी विवादित भूमि हेतु भूमि आवंटन चाहने बाबत कोई प्रार्थना पत्र भरा गया था अथवा नहीं। अपीलांटगण द्वारा भी अपनी अपील मीमो में यह नहीं बताया है कि उनके द्वारा आवंटन दिनांक को कोई आवेदन पत्र भरा था। स्पष्ट है कि मनभर द्वारा ही उक्त विवादित भूमि हेतु आवेदन पत्र दिया था तथा नियम 11(2) के तहत उसे भूमि आवंटित की गई थी तथा उसे आवंटन नियम 15 के तहत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को छोटी पट्टी के रूप में मानकर नियम 19 के तहत उक्त भूमि का डिस्पोजल करने से संबंधित अपीलांटगण की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

समग्र रूप से विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि आवंटी मनभर को नियमों की पालना करते हुए भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11(2), 15 के तहत भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि आवंटन सही रूप से किया जाना पाया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 44/2002 अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 निर्णय दिनांक 10.01.2006 को यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्कता नहीं है।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वरा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:57 IST
Reason: SelfAttested